भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5815
उत्तर देने की तारीख-30/03/2026

विद्यार्थी-शिक्षक विषमानुपात

†5815. **श्री बृजमोहन अग्रवाल:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने सरकारी प्राथमिक विद्यालय एक ही शिक्षक और इसके निर्धारित अनुपात से कम व्यवस्था के साथ चल रहे हैं;
(ख) समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों के नियोजन को युक्तिसंगत बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि आकांक्षी जिलों के विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार अनिवार्य छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) को पूरा करें;
(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि पीएम-श्री योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई उच्चस्तरीय अवसंरचना का उन विद्यालयों में अल्प-उपयोग न हो, जहां विषय विशेष अथवा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) शिक्षकों की कमी है;
(घ) दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों के प्रतिधारण में सुधार लाने के लिए दिए जा रहे विशेष प्रोत्साहनों अथवा आवास सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में परिकल्पित समान अधिगम परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए एकल शिक्षक स्कूल मॉडल को समाप्त करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): यूडाइज़+ (शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस) 2024-25 के अनुसार, वर्ष 2024-25 के लिए सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर) और एकल शिक्षक सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार छत्तीसगढ़ सहित https://www.education.gov.in/en/parl_ques. पर उपलब्ध है।

(ख) से (ङ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, देश के अधिकांश स्कूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तर्कसंगत

तैनाती संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के दायरे में आती है। शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और छात्र नामांकन में वृद्धि के कारण शिक्षकों की आवश्यकता बढ़ने जैसे विभिन्न कारकों के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। केंद्र सरकार समय-समय पर संशोधित छात्रों के नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उचित छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, समग्र शिक्षा के तहत स्कूल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयासों में कम आबादी वाले या पहाड़ी और घने जंगलों वाले क्षेत्रों में दुर्गम भौगोलिक इलाके और सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं जहां नए प्राथमिक या उच्च प्राथमिक और माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल व्यवहार्य नहीं हो सकते हैं वहाँ शिक्षकों, विशेष रूप से महिला शिक्षकों के लिए आवासीय क्वार्टरों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण करना है।

पीएम श्री योजना के तहत, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाया जाता है। पीएम श्री स्कूलों के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए प्रति डीआईईटी 3.00 लाख तक की वित्तीय व्यवस्था है, साथ ही विषय शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, विशेष शिक्षकों, आईसीटी शिक्षकों और मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रति शिक्षक 2,500 रुपए तक की सहायता भी प्रदान की जाती है। स्कूल प्राचार्यों को नेतृत्व, प्रबंधन और योग्यता आधारित शैक्षणिक योजना में प्रशिक्षित किया जाता है। शिक्षकों को समग्र प्रगति कार्ड, स्कूल सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण, प्रथम स्तर पर परामर्श, और शिक्षण-अधिगम की प्रथाओं में आईसीटी के एकीकरण पर भी प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे पीएम श्री स्कूलों में समग्र शिक्षण गुणवत्ता और स्कूल नेतृत्व में वृद्धि होती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों के अनुरूप केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तहत शिक्षक प्रशिक्षण/शिक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने में सहयोग दिया जाता है। समग्र शिक्षा के तहत प्रयासों का उद्देश्य शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) में भौतिक अवसंरचना को मजबूत करना; राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) को सहायता प्रदान करना ताकि वे प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा, अनुसंधान कर सकें और राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम रूपरेखा (एनसीएफ एसई) के अनुवर्ती के रूप में राज्य-विशिष्ट पाठ्यक्रम ढांचे का विकास कर सकें; जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) के पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण; बीआरसी/सीआरसी आदि के माध्यम से स्कूलों को निरंतर शैक्षणिक सहायता प्रदान करना है।

शिक्षा मंत्रालय 'स्कूल प्रमुखों के लिए राष्ट्रीय पहल' और शिक्षकों की समग्र उन्नति' (एनआईएसएचठा) नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल शिक्षा स्तर पर अधिगम के परिणामों में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है। निष्ठा के माध्यम से, राष्ट्रीय संसाधन समूहों को शिक्षा प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित किया जाता है और डिजिटल शिक्षकों को प्रमाणित किया जाता है।

*****